

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र0/ऊर्जा DDUGJY-03/2015
प्रेषक,

पटना, दिनांक-

प्रत्यय अमृत,
सरकार के प्रधान सचिव।
सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ऊर्जा विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:-

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग कृषि फीडर के निर्माण, वितरण एवं उप संचरण लाइन सुदृढीकरण एवं विस्तारीकरण तथा मीटरीकरण करने हेतु नोडल एजेंसी आर०ई०सी० द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के लिए 2433.13 करोड़ रुपये की अनुमोदित स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल राशि 2433.13 करोड़ रुपये का 60 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा नियुक्त नोडल एजेंसी आर०ई०सी० के माध्यम से अनुदान स्वरूप, 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा (रुपये 243.31 करोड़) हिस्सा पूंजी के रूप में एवं 30 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण स्वरूप उपलब्ध कराने की सैद्धांतिक स्वीकृति तथा नये शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु आवश्यक भू-खण्ड के क्रय में आने वाले वास्तविक व्यय की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति राज्य योजना से करने की स्वीकृति के आलोक में राज्य योजना से हिस्सा पूंजी के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में 51.00 करोड़ रुपये (एकावन करोड़ रुपये) साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को भुगतान करने हेतु आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या- 930 दिनांक-16.03.2017 के आलोक में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग कृषि फीडर के निर्माण, वितरण एवं उप संचरण लाइन सुदृढीकरण एवं विस्तारीकरण तथा मीटरीकरण करने हेतु नोडल एजेंसी आर०ई०सी० द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के लिए 2433.13 करोड़ रुपये की अनुमोदित स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल राशि 2433.13 करोड़ रुपये का 60 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा नियुक्त नोडल एजेंसी आर०ई०सी० के माध्यम से अनुदान स्वरूप, 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा (रुपये 243.31 करोड़) हिस्सा पूंजी के रूप में एवं 30 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण स्वरूप उपलब्ध कराने की सैद्धांतिक स्वीकृति तथा नये शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु आवश्यक भू-खण्ड के क्रय में आने वाले वास्तविक व्यय की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति राज्य योजना से करने की स्वीकृति के आलोक में राज्य योजना से हिस्सा पूंजी के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में 51.00 करोड़ रुपये (एकावन करोड़ रुपये) साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को भुगतान करने हेतु आवंटन स्वीकृत एवं विमुक्त किया जाता है।

आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार है :-

बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	बजट उपबंध की शेष राशि
15776600000.00	6914220187.00	510000000.00	7424220187.00	8352379813.00

2. इस राशि की निकासी बजट मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, मांग सं०-10, उपशीर्ष-0106 साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड की परियोजना, विपत्र कोड-P4801051900106 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
3. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी।
4. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि राशि की निकासी के पूर्व सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद ही इस राशि की निकासी करेंगे। यह राशि उस मद में कुल उपबंधित राशि के अधीन है।
5. आवंटित राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि के साथ संबंधित इकाई के कोड संख्या का भी उल्लेख करेंगे तथा विपत्र पर चिन्हित राशि बजट उपबन्ध के अन्तर्गत होने का प्रमाण-पत्र भी अंकित करेंगे।
6. इस राशि की निकासी प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी० एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियाँ, उपशीर्ष-0047-साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, व्यय शीर्ष एल० 8448001200047 एवं प्राप्तियाँ-के०-8448001200047 में जमा की जाएगी।
7. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA275 से की जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग।

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक- प्र०/ऊर्जा DDUGJY-03/2015

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग।

ज्ञापांक- प्र०/ऊर्जा DDUGJY-03/2015 32

पटना, दिनांक-

17/03/2017

प्रतिलिपि-उप सचिव, ऊर्जा विभाग/आई० टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग/लेखा शाखा (तीन प्रतियों में), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/विभागीय बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, वित्त विभाग पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग।